



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2012—आश्विन 30, शक 1934

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2012

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20 जुलाई 2012 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना क्रं. एफ-2-13-2011-छब्बीस-1, भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2011 तथा अधिसूचना क्रं. एफ-2-13-2011-छब्बीस-1, भोपाल दिनांक 02 दिसम्बर 2011 में संशोधन इस अधिसूचना की अनुसूची “एक” में उल्लेखित पांच विभागों की स्थापनाओं में अनुसूची “दो” में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची “एक”

1. गृह विभाग
2. ऊर्जा विभाग
3. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4. मत्स्य विभाग
5. वाणिज्यिक कर विभाग

अभय वर्मा, उपसचिव.

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन गृह (पुलिस) विभाग

विभागाध्यक्ष का नाम—राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर

श्रेणी	पद/संवर्ग के स्वीकृत पद	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या का कुल योग (6 प्रति.)	चिन्हांकित अस्थि बाधित	पद/संवर्ग एवं संख्या दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग 6+7+8	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	1. वैज्ञा. अधि. (भौतिकी)	39		02	01	निरंक	01	02	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य संपादन प्रमुख कार्य है जिसमें रसायन इत्यादि का प्रयोग कर परीक्षण कार्य किया जाता है. जिसमें दृष्टि बाधित आवेदक उपयुक्त नहीं होते हैं अतः दृष्टि बाधित से छूट प्रदान की जाती है.
	2. वैज्ञा. अधि. (रसायन)	53		03	02	निरंक	01	03	
	3. वैज्ञा. अधि. (जीव विज्ञान)	53		03	01	निरंक	02	03	
	योग :	145	145	08	04	—	04	08	
तृतीय श्रेणी	प्रयोगशाला तकनीशियन	24	24	01	01	निरंक	निरंक	01	
	प्रयोगशाला सहायक	36	36	02	01	निरंक	01	02	
	योग :			03	02	—	01	03	
चतुर्थ श्रेणी	प्रयोगशाला परिचारक	49	49	03	02	निरंक	01	03	
	योग :			03	02	—	01	03	

अनुसूची—2

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन मध्यप्रदेश शासन, गृह पुलिस विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

विभागाध्यक्ष का नाम—कार्यालय मेडिकोलीगल इन्स्टीट्यूट, गृह पुलिस विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, म. प्र.

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या का कुल योग (6%)	चिन्हांकित अस्थि बाधित	पद/संवर्ग एवं संख्या दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग 6+7+8	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	मेडिकल आफिसर								
(अ)	मेडिकल	07	—	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता है.
(ब)	नाम मेडिकल	04	—	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता है.
	योग :	11	11	—	—	—	—	—	
तृतीय श्रेणी	शीघ्र लेखक	02	—	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता है.
	सहायक ग्रेड-3	02	—	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता है.
	प्रयो. सहायक	02	—	01	01	—	—	01	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	फोटोग्राफर	1	—	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता है.
	वाहन चालक	01	—	—	—	—	—	—	आंशिक रूप से अस्थि बाधित के लिये.
	योग :	08	08	—	—	—	—	—	
चतुर्थ श्रेणी	प्रयो. परिचारक	02	—	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता है.
	भृत्य	05	—	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता है.
	स्वीपर	04	—	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता है.
	योग :	11	11	—	—	—	—	—	
जिलाध्यक्ष दर	स्वीपर 02	—	—	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता है.
	चौकीदार 01	03	03	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता है.
	योग :	14	33	01	01	—	—	01	आंशिक रूप से अस्थि बाधित के लिये.

अनुसूची “दो ”

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग,
विभागाध्यक्ष का नाम—मुख्य अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित अस्थि बाधित	पद/संवर्ग एवं संख्या दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग 6+7+8	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	सहायक यंत्री (वि.सु.)	13	13	1	1	—	—	1	दृष्टि बाधित तथा श्रवण बाधित से छूट दी जाती है.
	योग :	13	13	1	1	—	—	1	—तदैव—
तृतीय श्रेणी	उपयंत्री	117	223	13	3	—	—	3	दृष्टि बाधित तथा श्रवण बाधित से छूट दी जाती है.
	विद्युतकार	50			1	1	2	4	
	सहायक यंत्री	56			2	2	2	6	
	योग :	223		13	6	3	4	13	
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	49	49	3	1	1	1	3	
	योग :	49	49	3	1	1	1	3	

अनुसूची “दो”

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष का नाम—संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित अस्थि बाधित	पद/संवर्ग एवं संख्या दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग 6+7+8	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	चिकित्सा अधिकारी	3790	3846	231	76	-	-	76	चिकित्सा अधिकारी को मरीजों से चर्चा तथा उसका परीक्षण करना होता है. अतः दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित पदों की पूर्ति से छूट दी जाती है.
	सांख्यिकीय अधिकारी	1			-	-	-	0	
	प्रशासकीय अधिकारी	13			1	0	0	1	
	कोल्ड चेन अधिकारी	1			-	-	-	0	
	जिला मलेरिया अधिकारी	11			1	-	-	1	
	जिला पब्लिक हेल्थ नर्स	20			1	-	-	1	
	मीडिया अधिकारी	10			1	-	-	1	
	योग :	3846	3846		80	0	0	80	
तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-3	647	31854	1911	13	13	13	39	
	कम्प्यूटर संगणक	163			3	3	3	9	
	रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	44			1	-		1	दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित में छूट दी जाती है.
	कम्प्यूटर आपरेटर	121			2	2	2	6	
	कंपाउंडर/फार्मासिस्ट ग्रेड-2	2203			44	-	-	44	दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित में छूट दी जाती है.
	लेब टेक्नीशियन	1401			28	-		28	दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित में छूट दी जाती है.
	रेडियोग्राफर	670			13	-		13	दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित में छूट दी जाती है.
	नेत्र सहायक	597			12	-	-	12	दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित में छूट दी जाती है.
	वाहन चालक	1097			-	-	-	0	दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित में छूट दी जाती है.

अनुसूची “दो”

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन—मछलीपालन विभाग

विभागाध्यक्ष का नाम—संचालक मत्स्योद्योग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित अस्थि बाधित	पद/संवर्ग एवं संख्या दृष्टि बाधित	योग 6+7+8	योग (9)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप (10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	29	29	1	1	-	1	2	सहायक संचालक, मत्स्योद्योग का पद जिला कार्यालय प्रमुख के हैं, जो अपने अधीनस्थ जिलास्तर पर पदस्थ अमले पर प्रशासकीय नियंत्रण, आहरण वितरण के साथ-साथ मैदानी स्तर पर मत्स्य बीज उत्पादन मत्स्योत्पादन, जलाशयों का विकास/संरक्षण/ जलाशयों में अवैधानिक मत्स्याखेट का नांव द्वारा निरीक्षण/प्रशिक्षण/सहकारिता/ एवं हितग्राहियों को समय- समय पर ऋण उपलब्ध कराना केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा की जाने वाली समस्त योजनाओं का संचालन आदि प्रमुख कार्य करना होता है. अतः उक्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हुये इस संवर्ग में दृष्टिबाधित निःशक्तजनों की नियुक्ति से छूट दी जाती है.
योग :		29	29	1	1	-	1	2	

अनुसूची “दो ”

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन—वाणिज्यक कर विभाग

विभागाध्यक्ष का नाम—आयुक्त वाणिज्यक कर सीधी भरती के पद									
श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित अस्थि बाधित	पद/संवर्ग एवं संख्या दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग 6+7+8	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	वाणिज्यक कर अधिकारी	107	107	6	3	0	0	3	विभाग में कर अपवंचन की रोकथाम हेतु प्रवर्तन शाख स्थापित हैं, जिनमें पदस्थ अमले का संपूर्ण कार्य फील्ड का है. इस अमले को प्रतिष्ठानों पर छापे की कार्यवाही करनी पड़ती है तथा चलित वाहनों की जांच भी करनी पड़ती है. जिसके दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस अमले में अधिकांशतः वाणिज्यक कर अधिकारी, वाणिज्यक कर निरीक्षकों की पदस्थापना की जाती है अतएव वाणिज्यक कर अधिकारी के मात्र 3 पदों को अस्थिबाधित के लिये चिन्हांकित किया जाता है. इस पद पर श्रवण बाधित तथा दृष्टिबाधित के नियुक्ति से छूट दी जाती है.
	सिस्टम एनालिस्ट	6	6	0	0	0	0	0	
	योग :	113	113	6	3	0	0	3	
तृतीय श्रेणी	वाणिज्यक कर निरीक्षक	400	400	24	0	0	0	0	विभाग में कर अपवंचन की रोकथाम हेतु प्रवर्तन शाख स्थापित हैं, जिनमें पदस्थ अमले का संपूर्ण कार्य फील्ड का है. इस अमले को प्रतिष्ठानों पर छापे की कार्यवाही करनी पड़ती है तथा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									चलित वाहनों की जांच भी करनी पड़ती है. जिसके दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस अमले में अधिकांशतः वाणिज्यिक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की पदस्थापना की जाती है अतएव वाणिज्यिक कर अधिकारी के पदों निःशक्तजनों की नियुक्ति से छूट दी जाती है.
	कराधान सहायक	366	366	22	25	0	0	25	कराधान सहायक का मुख्य कार्य कर निर्धारण कार्य में सहयोग करना है. वर्तमान में विभाग का अधिकांश कार्य कम्प्यूटर में हो रहा है. कराधान सहायक के पद के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए इस संवर्ग में द्विष्टिबाधि, श्रवणबाधित निःशक्तजनों की नियुक्ति से छूट आवश्यक है.

अनुसूची "दो "

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन—वाणिज्यिक कर विभाग

विभागाध्यक्ष का नाम—आयुक्त वाणिज्यिक कर					सीधी भरती के पद				
श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित अस्थि बाधित	पद/संवर्ग एवं दृष्टि बाधित	संख्या श्रवण बाधित	योग 6+7+8	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
तृतीय श्रेणी	सहायक प्रोग्रामर	18	18	1	1	0	0	1	कार्यस्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्रलेखक के पद पर दृष्टिबाधित तथा श्रवणबाधित निःशक्तजनों की नियुक्ति से छूट दी जाती है.
	शीघ्र लेखन (हिन्दी)	40	40	2	2	0	0	2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	शीघ्र लेखक (अंग्रेजी)	1	1	0	0	0	0	0	
	संगणक	2	2	0	0	0	0	0	
	सहायक ग्रेड-तीन	777	777	47	16	16	15	47	कार्यस्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए श्रवणबाधित निःशक्तजनों की नियुक्ति से छूट दी जाती है.
	आशुलिपिक	130	130	9	3	3	3	9	कार्यस्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए श्रवणबाधित में मूक निःशक्तजनों की नियुक्ति से छूट दी जाती है.
	टेलीफोन आपरेटर	6	6	0	0	0	0	0	
	आई.टी. आपरेटर	214	214	13	9	0	4	13	आई.टी. आपरेटर का कार्य कम्प्यूटर पर कार्य करना है. अतः कार्यस्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टिबाधित को तथा श्रवणबाधित निःशक्तजनों की नियुक्ति से छूट दी जाती है.
	डाटा इन्ट्री आपरेटर	4	4	0	0	0	0	0	
	योग :	1958	1958	158	53	19	22	94	
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य/आदेशिका वाहक/ रेग्युलर फर्शिश	988	988	59	59	0	0	59	कार्यस्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए इन पदों पर दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित निःशक्तजनों को नियुक्ति से छूट दी जाती है.
	चेयर केनर	1	1	0	0	0	0	0	
	योग :	989	989	59	59	0	0	59	